रजिस्ट्री सं. डी एल—33002/99 | भारत सरकार | REGD. No. D.L.—33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2008/भाद्र 25, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 174

No. 148] DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2008/BHADRA 25, 1930 [N.C.T.D. No. 174

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(योजना विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

सं. फा. 9 (19) ए.डी./आर. आर./2006/सी सी/योजना/9671.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितम्बर, 1968 की अधिसूचना सं. फा. 24/78/68-डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल :—

(i) इस सरकार के अधीन योजना विभाग में सहायक निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद पर नियुक्ति के लिये भर्ती पद्धति तथा आवश्यक योग्यताओं के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में नियम बनाते हैं, तथा;

(i) इस सरकार की दिनांक 22-2-2005 की अधिसूचना सं. फा. 9(48)/98-सीसी/योजना/8100-8101 द्वारा अधिसूचित योजना विभाग में सहायक निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद के भर्ती नियमों को निरस्त करते हैं ।

अनुसूची

8000-275-13500 के वेतनमान में सहायक निदेशक (योजना/सांख्यिकी) के पद के भर्ती नियम

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक निदेशक (योजना/सांख्यिकी)	32@	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	रु. 8000-275-13500

@ इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है

कालम 1 के अधीन

1. पदनाम : सहायक निदेशक (योजना/सांख्यिकी)

कालम 1 के अधीन

1.	योजना	8
2.	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय	4

3. पंजीयक सहकारी समितियाँ	1
4. परिवहन	2
5. पर्यटन	1
6. लोक निर्माण विभाग	1
7. उपायुक्त कार्यालय	1
8. व्यापार एवं बिक्री कर	1
9. परिवार कल्याण	1
10. श्रम	1
11. लोक नायक जय प्रकाश नारायण	1
12. शहरी विकास (ऊर्जा)	1
13. शहरी विकास	2
14. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं हौम्योपैथी	1
15. उद्योग	1
16. उच्च शिक्षा निदेशालय	1
17. शिक्षा निदेशालय	1
18. डीएसएसएसबी	1
19. डीटीटीई	1
20. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1
	32

क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	क्या जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
5	6	7
चयन	नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप :** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी ।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
अनिवार्य :– 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/कार्यात्मक अनुसंधान/अंकगणित सांख्यिकी/प्रयोगिक सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या अंकगणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य में सांख्यिकी एक विषय/पेपर डिग्री स्तर पर या समकक्ष, और	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हां	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये एक वर्ष

(8)
2. सांख्यिकी डाटा को एकत्र करने, समेकित करने संबंधी सांख्यिकी कार्य तथा रिपोर्ट लिखने या योजना कार्य जिसमें प्लान स्कीम का संचालन तथा मूल्यांकन शामिल है में तीन वर्ष का अनुभव ।
टीप–1. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय हैं ।
टीप–2. यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमत से अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है ।

भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है
(11)	(12)
पदोन्नति जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (आईएसटीसी) दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**पदोन्नति :–** सांख्यिकी अधिकारी वेतनमान 6500—10,500 रु. तथा ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा । **नोट :** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)** केन्दीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्द्धसरकारी/सांविधिक या स्वायत्त संस्थानों के अधिकारी :– (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में 6500—10,500 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा सहित; (iii) मूल संवर्ग/विभाग में 5500—9000 रु. के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा सहित; (ख) कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि (आईएसटीसी) इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य

3.	पंजीयक सहकारी समितियाँ	1
4.	परिवहन	2
5.	पर्यटन	1
6.	लोक निर्माण विभाग	1
7.	उपायुक्त कार्यालय	1
8.	व्यापार एवं बिक्री कर	1
9.	परिवार कल्याण	1
10.	श्रम	1
11.	लोक नायक जय प्रकाश नारायण	1
12.	शहरी विकास (ऊर्जा)	1
13.	शहरी विकास	2
14.	भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं हौम्योपैथी	1
15.	उद्योग	1
16.	उच्च शिक्षा निदेशालय	1
17.	शिक्षा निदेशालय	1
18.	डीएसएसएसबी	1
19.	डीटीटीई	1
20.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1
		32

क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	क्या जोड़े गये सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा
5	6	7
चयन	नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय) **टीप :** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है ।

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु-सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी ।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
अनिवार्य :– 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/कार्यात्मक अनुसंधान/अंकगणित सांख्यिकी/प्रयोगिक सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री या अंकगणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य में सांख्यिकी एक विषय/पेपर डिग्री स्तर पर या समकक्ष, और	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हां	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये एक वर्ष

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Post of Assistant Director (Planning/Statistics) pay scale of Rs. 8000-275-13500.

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
(1)	(2)	(3)	(4)
Asstt. Director (Plg/Stat.)	32@	GCS Group "A"	Rs. 8000-275-13500

@ (2008) Subject to variation dependent on workload.

Under Column 1 :

1.	Planning	8
2.	Dte. of Economics & Statistics	4
3.	R.C.S.	1
4.	Transport	2
5.	Tourism	1
6.	PWD	1
7.	D. C. Office	1
8.	Trade & Taxes	1
9.	Family Welfare	1
10.	Labour	1
11.	LNJP	1
12.	U. D. (Power)	1
13.	Urban Development	2
14.	I. S. M. & H.	1
15.	Industries	1
16.	Dte. of Higher Education	1
17.	Dte. of Education	1
18.	D.S.S.S.B.	1
19.	DTTE	1
20.	Health & Family Welfare	1
		32

Whether selection or Non-slection post	Wether benefits of added years. of service admissible	Age-limit for for Direct Recruits
(5)	(6)	(7)
Selection	No	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Post Graduate degree in Statistics/Operational Research/ Mathematical Statistics/Applied Statistics or Post Graduate degree in Economics/Mathematics/Commerce (with Statistics as one of the subjects/papers at degree level) of a recognized University or equivalent. (ii) 3 years experience of Statistical work involving collection, compilation and interpretation, analysis of Statistical data and report writing or Planning work involving Formulation, monitoring and Evaluation of Plan Scheme. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. The U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing. In case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates possessing the requisite experience are not likely to be abailable to fill up the posts reserved for them.	Age : No EQs : Yes	1 year for Direct Recruits and promotees.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Promotion failing which by deputation (ISTC) failing both by Direct Recruitment.	**Promotion :** Statistical Officer in the pay scale of Rs. 6500-10500 with 5 years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half or such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation (including short-term contract) :** Officers under the Central/State Govts./Union Territories/Universities/ Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Govt./ Statutory or Autonomous Organizations :— (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/Department; or (iii) With eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/department; and

(12)
(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.) (Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)		(14)
Group 'A' DPC (for considering promotion) :		Consultation with UPSC is necessary for appointment to the post on each occasion and for amending/relaxing any provision of these rules.
1. Chairman/Member UPSC	—Chairman	
2. Pr. Secretary (Plg)/ Secretary (Plg) in the Govt. of N.C.T. of Delhi	—Member	
3. Secretary (Services) in the Govt. of N.C.T. of Delhi	—Member	
4. Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in Govt. of N.C.T. of Delhi	—Member	
5. An Officer belonging to SC/ST not below the rank of Joint Secretary in Govt. of N.C.T. of Delhi	—Member —Member	
Group 'A' DPC (For considering confirmation) :		
1. Chief Secretary, G.N.C.T.D.	—Chairman	
2. Pr. Secretary (Plg)/ Secretary (Plg) in the Govt. of N.C.T. of Delhi	—Member	
3. Head of Department concerned unless he is ex-officio Secretary in the Govt. of N.C.T. of Delhi	—Member	

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
L. N. MEENA, Jt. Director

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 सितम्बर, 2008

सं. एफ/III/125/टी एंड टी/प्रशा./2008/1314.— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उप-राज्यपाल, मूल्य सर्वंधित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारी को तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री एस. के. सहगल	मूल्य सर्वंधित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उप-राज्यपाल
के नाम तथा उनके आदेश पर,
अर्चना अरोड़ा, विशेष सचिव (कराधान)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 16th September, 2008

No. F. III/125/T&T/Estt./2008/1314.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officer, with immediate effect to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely:—

S. No.	Name of the Officer (Sh./Smt./Km.)	Appointed as
1.	S.K. Sehgal	Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
ARCHNA ARORA, Spl. Secy. (Taxation)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.